भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2905
उत्तर देने की तारीख- 10/03/2026

दिव्यांगजनों के लिए निधि

2905. डॉ. शशि थरूर :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिव्यांगजनों से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटित बजट का एक बड़ा हिस्सा वर्ष दर वर्ष कम उपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो दिव्यांग कल्याण और समावेशन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित निधियों के निरंतर कम उपयोग के क्या कारण हैं;

(ग) दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और सहायक उपकरणों तक पहुंच में सुधार करने हेतु आवंटित निधियों का पूर्ण और समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं; और

(घ) दिव्यांग कल्याण पर किए जा रहे खर्च के असर की निगरानी और मूल्यांकन करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे, वर्तमान में क्या तंत्र मौजूद हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख) : जी, नहीं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः—

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	कार्यक्रम/योजनाएं वित्तीय वर्ष		सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) योजना	दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना	दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन हेतु योजना
1	2022-23	बीई	235.00	125.00	105.00	240.39
2		आरई	230.00	105.00	145.00	100.00
3		एई	242.29	114.69	142.00	65.59
4	2023-24	बीई	245.00	130.00	155.00	150.00
5		आरई	305.00	130.00	155.00	67.00
6		एई	290.60	129.98	130.07	76.79
7	2024-25	बीई	315.00	165.00	142.68	135.33
8		आरई	350.00	139.00	80.00	111.00
9		एई	348.81	139.39	89.71	44.16

(ग) और (घ): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर पात्र लाभार्थियों/संगठनों/संस्थानों को निधियां जारी की जाती हैं। कुछ मामलों में, निधियों के कम उपयोग का कारण हितधारकों द्वारा प्रस्तावों का विलंबित अथवा अपूर्ण प्रस्तुतीकरण रहा है।

निधियों के समयबद्ध उपयोग तथा सेवाओं के प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लिए, इन योजनाओं की नियमित निगरानी की जाती है, जिसमें जिला प्राधिकरणों एवं राज्य सरकारों द्वारा निरीक्षण भी शामिल है। विभाग द्वारा संबद्ध हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा की जाती है, ताकि उन्हें जागरूक बनाया जा सके तथा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु संचालित योजनाओं के लाभों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सके। हितधारकों से फीडबैक भी प्राप्त किया जाता है।

विभाग पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा लाभों को लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए कदम उठा रहा है। जागरूकता सृजन एवं प्रचार (एजीपी) योजना के अंतर्गत, विभाग दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में सामान्य जन-जागरूकता पैदा कर रहा है।

*****